

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

SESSION - 2019-20

B.V.Sc.&A.H. पाठ्यक्रम (सत्र 2019-20) में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण की स्पॉट काउंसलिंग के रिक्त सीटों, नियम एवं शर्तें (दिनांक

24.09.2019 सुबह 11.00 बजे)

क. रिक्त सीटों की जानकारी

1. Bachelor of Veterinary Science & Animal Husbandry (College of Veterinary Science & Animal Husbandry Mhow / Rewa)

B.V.Sc. & A.H.	UR					SC						ST						OBC						UR EWS	TOTAL	
	X	F	FF	S	PH	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K			
Co.V.Sc. & A.H., JBP	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10
Co.V.Sc. & A.H., Mhow	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14
Co.V.Sc. & A.H., Rewa	4	1	1	0	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	17
TOTAL	12	5	2	0	1	3	3	1	0	1	0	3	3	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	41

(UR = अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग,

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S=सैनिक, PH=द्विव्यांग , EWS सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर X= इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग)

स्थान : सभागार, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र) 482001

टीप : प्रवेशित छात्र –छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
ख. B.V.Sc.&A.H. पाठ्यक्रम (सत्र 2019–20) में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण स्पोर्ट

काउंसलिंग के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य है।
 2. अभ्यर्थी जिन्होंने CRISP, Bhopal द्वारा ऑन लाईन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया है अथवा जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी चतुर्थ चरण स्पोर्ट काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
 3. काउंसलिंग की नियत तिथि दिनांक 24.09.2019 को जो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवायेगें केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र होंगे।
 4. अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा B.V.Sc. & A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, वे चतुर्थ चरण स्पोर्ट काउंसलिंग में B.V.Sc & A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
 5. B.V.Sc &A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश PV&FT-2019 की प्रवीण्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन किया जायेगा।
 6. प्रवेश हेतु PV&FT-2019 की नियम पुस्तिका में दिये गए नियमों का पालन किया जाएगा एवं दर्शाये गए प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैं।
 7. अनारक्षित (ओपन, महिला, दिव्यांग, सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)) वर्ग की सीटों में प्रवेश हेतु PV&FT-2019 परीक्षा में न्यूनतम 33 प्राप्तांक होना आवश्यक हैं।
 8. अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे।
- पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2019 की अंक सूची।
 - हाई स्कूल (10th), हायर सेकेण्डरी (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
 - चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी।
 - स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
 - मड्रेशन प्रमाण पत्र।
 - तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।

- सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
- आधार कार्ड

समस्त मूल दस्तावेजों एवं उनकी दो छायाप्रतियों (फोटोकापी) को लाना अनिवार्य होगा।

9. अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे

शुल्क निर्धारित तिथि में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी एवं अगले प्रत्याषी को योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दे दिया जावेगा।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क **B.V.Sc.&A.H.** हेतु रूपये **44438/-** प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी) ।

B.V.Sc. &A.H. हेतु कुल फीस:-

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	44438 / -
2	द्वितीय वर्ष	40310 / -
3	तृतीय वर्ष	40310 / -
4	चतुर्थ वर्ष(1½ वर्षीय)	60460 / -
5	पंचम वर्ष	38910 / -

छात्रावास हेतु शुल्क

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	6410 / -
2	द्वितीय वर्ष	3400 / -
3	तृतीय वर्ष	3400 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	5100 / -
5	पंचम वर्ष	3400 / -

* विद्युत शुल्क खपत अनुसार एवं भोजनालय की शुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा

शुल्क वापसी: सत्र 2019-20 में बी.व्ही. एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

स.क्र.	शुल्क वापसी का प्रतिशत *	प्रवेश निरस्त करने हेतु महाविद्यालय में सूचना देने की समय सीमा
1	100 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना से 15 दिवस पूर्व
2	80 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक नहीं
3	50 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक परंतु 30 दिवस से कम
4	00 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 30 दिन से अधिक

* कॉशनमनी एवं सुरक्षा निधि छोडकर

क्रमांक 01 हेतु प्रोसिस शुल्क 10 प्रतिशत देय होगा।

10. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/ छात्राओं को नियमानुसार शुल्क में छूट प्रदान की जावेगी।
- 11 किसी भी वर्ग/श्रेणी हेतु आरक्षित महिला सीटों में से केवल उसी श्रेणी/ वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।
12. आरक्षण के नियमानुसार किसी भी वर्ग/श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त सीटों को नियमानुसार वर्ग/श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

अधिष्ठाता संकाय